भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4337

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>निवेशक शिक्षा कार्यक्रम</u>

4337. श्री सुवेन्दू अधिकारी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेशकों को निवेश के दौरान उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूक बनाने के लिए "निवेशक जागरूकता कार्यक्रम" आरंभ किया है/आरंभ करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में समतामूलक आर्थिक विकास के प्रोत्साहन हेतु, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के अंतर्गत व्यापार-जगत के लिए व्यय प्रतिशत का क्षेत्र-वार आबंटन निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश के औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक प्रबंधन और लेखापरीक्षा योजना (ईएमएएस) शुरू करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) और (ख) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन निवेशकों में धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने एवं जानकार निवेश निर्णय की आवश्यकता के उद्देश्य से करता है। ये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम तीन संस्थानों यथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान व लागत लेखाकार संकर्म संस्थान के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में अभी तक 6871 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2012-13 व 2013-14 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 100 कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) भी ऐसे ही कार्यक्रम संसाधन विशेषज्ञ, निवेशक एसोसिएशन, एक्सचैंज डिपॉजिटरी एवं विभिन्न व्यापार निकायों के द्वारा आयोजित करता है। सेबी इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर देखे जाने वाले अभियानों का आयोजन, जनता को वित्तीय योजनाएं जो असामान्य रूप से उच्च ब्याज दर के प्रस्ताव देती हैं, के बारे में विशेष रूप से शिक्षित करने का कार्य भी करती है।

(ग) : कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय के क्षेत्र-वार वितरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.) : देश में ईको मैनेजमेंट एंड ऑडिट स्कीम (ईएमएएस) की शुरूआत करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में नहीं है।

*****